"RASHTRIYA SAHARA"
MEERUT
Dated:- 24.01.2001

मेरठ में मिनी सिलेंडरों का निर्माण धड़ल्ले से

सहारा समाचार
मेरठ, 23 जनवरी

केन्द्र व प्रदेश सरकार के निर्देशों के विपरीत समस्त नियम कानूनों को ताक पर रखकर महानगर में अवैध मिनी गैस सिलेंडरों का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। इसी सप्ताह दिल्ली के सदर बाजार में मारे गये छापे के दौरान मेरठ में निर्मित 240 मिनी गैस सिलेंडर पकड़े गये। अवैध निर्माण एवं विक्रय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका की जबाव तलबी में स्थानीय प्रशासन ने लीपापोती कर जवाब देने की औपचारिकता निभायी है। केन्द्र सरकार के उद्योग निदेशक ने मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को मेरठ में प्रशासनिक मदद से अवैध मिनी गैस सिलेंडर निर्माता एवं विक्रेताओं के ठिकानों पर छापे मारने के निर्देश दिये हैं।

मेरठ में मिनी गैस सिलेंडर का अवैध निर्माण व इनमें एल.पी.जी. गैस भरने का काम लगातार जारी है। विगत 18 जनवरी को दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त द्वारा सदर बाजार में मारे गये छापे के दौरान 240 मिनी गैस सिलेंडर जब्त किये गये। दिल्ली सदर बाजार की मैसर्स पेशावर लाइट हाउस पर मारे गये छापे के बाद गिरफ्तार किये गये फर्म के मालिक नवीन ने बताया कि उक्त सिलेंडर्स की सप्लाई मेरठ से हुई। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी कई मर्तबा दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश शासन व स्थानीय प्रशासन को मेरठ से सप्लाई किये जा रहे अवैध मिनी गैस सिलेंडर्स के बारे में पत्र भेजकर शिकायत की जा चुकी है। उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा ने वर्ष 1991 में शासन व स्थानीय प्रशासन को अवैध निर्माण के संबंध में पत्र भेजे जाने के अलावा प्रदेश उद्योग मंत्रालय के सचिव ने वर्ष 1992 में स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये। पिछले वर्ष शासन की फूड सैल की विजिलेंस टीम ने भी स्थानीय प्रशासन से अवैध मिनी सिलेंडर निर्माताओं के ठिकानों पर छापा मारने को मदद मांगी थी। इसके अलावा भी सात वर्षों में समय-समय पर शासन ने जिला प्रशासन को इस बारे में कार्रवाई के निर्देश दिये। पिछले वर्ष शासन की फूड सैल की विजिलेंस टीम ने भी स्थानीय प्रशासन से अवैध मिनी सिलेंडर निर्माताओं के ठिकानों पर छापा मारने को मदद मांगी थी। इसके अलावा भी गत वर्षों में समय-समय पर शासन ने जिला प्रशासन को इस बारे में कार्रवाई के निर्देश दिये। विगत चार जनवरी को लल्लापुरा बस्ती में दो मिनी गैस सिलेंडरों में हुए विस्फोट में चार व्यक्ति घायल हो गये।

गत वर्ष 17 जुलाई को अपर जिलाधिकारी नगर जे.पी. सिंह ने मिनी गैस सिलेंडर निर्माता इकाइयों को निर्माण संबंधी आवश्यक कागजात व लाइसेंस आदि पेश करने के नोटिस जारी किये। इसमें बी.आई.एस. प्रमाण पत्र, प्रदूषण, अग्निशमन प्रमाण पत्र व व्यापार कर पंजीयन आदि तलब किये गये। गौरतलब है कि व्यापार कर विभाग में 33 इकाई व उद्योग केन्द्र में मात्र एक इकाई पंजीकृत है, जबकि लगभग 70 इकाई मेरठ में मिनी सिलेंडर निर्माण में लगी हुई है।उक्त नोटिस के जवाब में इंडिया मिनी गैस सिलेंडर मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीयल कोऑपरेटिव सोसायटी लि. ने 25 जुलाई को स्वीकार किया कि मेरठ में किसी निर्माता के पास वांछित प्रमाण पत्र नहीं है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मिनी गैस सिलेंडर निर्माता एवं विक्रेता संघ को चेतावनी दी कि आवश्यक प्रमाण पत्रों के अभाव में तत्काल निर्माण कार्य बंद कर दें। कोई प्रमाण पत्र न पेश किये जाने के बावजूद मिनी सिलेंडर्स का निर्माण अबाध गति से जारी रहा। पिछले वर्ष ही मिनी गैस सिलेंडर निर्माता संघ व संयुक्त व्यापार संघ के प्रशासन से अनुरोध किया कि हजारों लोगों के रोजगार को बचाने के लिए एक टेस्टिंग लैब की स्थापना करायी जाय।

विगत वर्ष मिनी गैस सिलेंडर के अवैध निर्माण के खिलाफ जनहित विचार मंच एवं एसोसिएशन आफ पैरेलल एल.पी.जी. मार्केटियर्स एवं कन्जूमर्स ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। इसमें मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मुख्य सचिव शासन, जिलाधिकारी, एस.एस.पी., डी.एस.ओ. एवं डी.आई.जी. से हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया।

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक इलाहाबाद पी.सी. श्रीवास्तव ने न्यायालय में पेश किये शपथ पत्र में प्रदेश शासन व स्थानीय प्रशासन को उक्त मामले में कार्रवाई न करने के लिए दोषी ठहराया है। श्रीवास्तव ने कहा कि गैस सिलेंडर रुल्स 1981 के तहत उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई की मदद कानूनी रूप से दरकार है जबकि हाईकोर्ट द्वारा जबाव तलब किये जाने पर जिलाधिकारी अवनीश अवस्थी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ए.आर.ओ. हिमांशु प्रकाश द्विवेदी ने शपथ पत्र देकर बयान दिया। जवाब में प्रशासन द्वारा मिनी सिलेंडर्स का अवैध निर्माण रोकने के संबंध में की गयी कार्रवाई का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट को अवगत कराया गया कि प्रशासन ने निर्माता संघ एवं संयुक्त व्यापार संघ द्वारा आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था करने पर टेस्टिंग लैब की स्थापना हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्रीमती जौहरा चटर्जी को गत वर्ष 23 सितम्बर को पत्र एवं 12 अक्टूबर को स्मरण पत्र भेजा था। इसके बाद भी शासन स्तर पर टेस्टिंग लैब की स्थापना की अनुमति नहीं मिल पा ही है। गौरतलब है कि प्रशासन ने लैब की स्थापना तक निर्माण बंद रखने के निर्देश मिनी सिलेंडर निर्माता संघ को देने के साथ ही पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।